



Office of
EXECUTIVE ENGINEER, SARKAGHAT DIVISION
Himachal Pradesh Public Works Department Sarkaghat
Ph. 019055- 230034, Fax: 230034, E-mail ee-sar-hp@nic.in

No.PW-SKT-WA-FOREST CASE/2024- 7794

Dated: -16/10-2024

To

Deputy Conservator of Forests,
Suket Forest Division,
Distt. Mandi(H.P.)

Subject: -

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति व विधिवत् स्वीकृति की शर्तें	मंजूर /नामंजूर
1	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हे० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 है० DPF NAREHLI पर दंडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हे० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 है० DPF NAREHLI पर दंडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता

		अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP A) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण Rs. 8,14,960/-/- dated 28-03-2018) (CAMP A) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के चालान माध्यम द्वारा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
6.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र व ऑनलाइन चालन सलग्न है।
7.	State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.	Needful done.
	विधिवत् स्वीकृति व अन्य आवश्यक शर्तें	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

2.	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा।	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
3.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हे० वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हे० वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हे० DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हे० DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
8.	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
10.	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

11	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा ।	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा ।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा । इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है ।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat H.P.W.D.
HP, P.W.D. at Sarkaghat



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01905 - 267228 . e.mail - dfosuket123@gmail.com

दिनांक./सुकेत./ 05/11/2024

क्रमांक./FCA./ 9569

प्रेषक : उप-अरण्यपाल
सुकेत वन मंडल

प्रेषित : मुख्य अरण्यपाल
वन वृत्त मंडी

विषय : Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (FP/HP/ROAD/20377/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय जी,

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति में संदर्भित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण के कार्यालय पत्र संख्या 7794 दिनांक 16-10-2024 के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में संदर्भित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	सैधांतिक स्वीकृति की शर्तें	मंजूर/नामंजूर
1.	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 हे० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हे० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हे० DPF NAREHLI पर दंडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि Rs 4,02,281/-जमा करा दी गई है। (Annexure -III)
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01905 - 267228 . e.mail - dfosuket123@gmail.com



5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जमा करा दिए गए हैं। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
6.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
7.	State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र के अनुसार वांछित कार्य कर लिया गया है।)
विधिवत स्वीकृति व अन्य आवश्यक शर्तें :-		
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
2.	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी देने के लिए बाध्य होगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
3.	प्रतिपूर्ति पोधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हे० वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पोधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हे० DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)



Office of **DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS**
SUKET FOREST DIVISION; SUNDERNAGAR DISTT. MANDI (H.P.) 175002
PHONE & Fax 01905 - 267228 . e.mail - dfosuket123@gmail.com

8.	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस - पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
9.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
10.	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
12.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	मंजूर (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित शपथ पत्र संलग्न है)

2. इसके अतिरिक्त Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 48-3393/2016(FCA) Dated Shimla-1, the 29/06/2018 के माध्यम से क्र०सं० 1 में वांछित जानकारी हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को आदेश किए गए हैं और क्र०सं० 2 में वांछित जानकारी "Revised digital map of the area of proposed diversion" पत्र के साथ सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उप-अरण्यपाल
सुकेत वन मंडल सुंदरनगर

पृष्ठांकन संख्या 9570-71 दिनांक/सुकेत/ 05/11/24

प्रतिलिपि :

1. अधिशाषी अभियंता सरकाघाट मंडल को आपके कार्यालय पत्र संख्या No.PW-SKT-WA-Forest Case/2024 7794 dated 16/10/2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

2. वन परिक्षेत्र अधिकारी बल्दाडा को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

उप-अरण्यपाल
सुकेत वन मंडल सुंदरनगर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जायेगी।	वन द्वारा guideline para 3.2 (vi) के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 1.23 है० DPF NAREHLI, पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07-10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat,
H.P. P.W.D. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat
Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.


महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हे० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हे० DPF NAREHLI पर दंडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण से आवश्यक धनराशि जमा कराई जाएगी।	वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में निर्मित 0.4342 हे० के 3 गुणा क्षेत्र अर्थात् 1.30 हे० DPF NAREHLI पर दंडात्मक क्षतिपूरक पौधारोपण (Penal CA) एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat W.D.
H.P. PWD. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar (H.P.) - 175018

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.


महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
.8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD at Sarkaghat
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundernagar (H.P.) - 175018

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
.4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division/Sarkaghat
HP.PWD at Sarkaghat,
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र


- Subject:-** Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
- संदर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.
- महोदय :-** उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण Rs. 8,14,960/- /- dated 28-03-2018) (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के चालान माध्यम द्वारा कर दिया गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat.
HP.PWD at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar (H.P.) - 175018

No. 1464
H.P. Forest Department.

Dated Sundernagar, the 05 May, 2018

From:- D.F.O, Suket.

To: C.P, Mandi.

Subject: Diversion of 0.6123 ha. of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalehri (Km. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.

Memo:-


Kindly refer to Nodal Officer-cum-CCF(FCA) O/o Pr. CCF(HoFF), H.P Shimla endst.No. Ft.48-3393/2016 (FCA) dated 02.11.2017 on the subject cited above.

2. Compliance to the In-principle approval stipulations imposed in the present forest land diversion proposal is reported as under :

1. The user agency has deposited Rs 1,86,570/- towards cost of compensatory afforestation.
2. The user agency has deposited Rs.1,97,188/- towards cost of penal compensatory afforestation.
3. The user agency has deposited Rs. 4,02,281/- towards NPV & also deposited Rs. 28,921/- towards Reclamation plan charges of the forest land at the latest norms.
4. Undertaking submitted by user agency is attached.
5. The all above amount of CA, PCA, NPV & RP (Rs.1,86,570 + Rs.1,97,188 + Rs.4,02,281 + Rs.28,291 = Rs.8,14,960 (Eight lakh Fourteen thousand nine hundred Sixty) has been deposited by user agency in the account of Himachal Pradesh CAMPA on dated 15.01.2018 in Corporation Bank, FCS Banglore, IFSC code CORP0000633 vide RTGS UTR No. PUNBH18090938029 dated 31.03.2018 through online e-challan generated (photocopy enclosed). The user agency has also deposited Rs.68780/- as cost of departmental charges @17.5% on CA, PCA & RP (Rs. 31095 + Rs.32865 + Rs.4820 = Rs.68780/- Sixty Eight thousand Seven hundred Eighty) copy is enclosed herewith.
6. Undertaking submitted by user agency is attached.
7. The Proforma II duly filled is enclosed.

It is therefore requested that the final approval of the proposal may kindly be obtained & conveyed to this office.

Encl: As above.


Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sundernagar, H.P.


Endst. No. 1465-66

dated 05/05/18

Copy is forwarded to :-

1) Executive Engineer, B&R Division HPPWD Sarkaghat Distt Mandi H.P. w.r.t. his letter No. PW-SKT/CB/Supdtt. cash/2018-1036-37 dated.02.05.2018 and 1057-58 dated 03.05.2018 for information.

2) Incharge Account Branch to this office for information.


Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sundernagar, H.P.



E-CHALLAN

Government Of Himachal Pradesh

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 13-Apr-2018

Remitter Copy

HIMGRN B18D122792

Date 07-04-2018 10:20:07AM

Department Forest

BarCode



Period 07-04-2018 To 07-04-2018

DDO MDI01-816- FOREST DIVISION SUKET(SUNDERNAGAR)

Head	Amount
06-01-800-18-OTHER MISCELLANEOUS RECEIPT	68780
Total/Net Amount	68780
In words	Sixty Eight Thousand Seven Hundred Eighty

Payee Detail

License/Vehicle/Permit/TIN no.

MISCELLANEOUS RECEIPTS -on account of departmental charges for Rs. 31095/- PCa Rs. 32865/- and RP Rs. 4820/- for the diversion 3.6123 hac of forest land for the c/o link road harizen basti ehri

Remitter Name:- DFO Suket

Address:- DFO Suket Forest Division Sundernagar
Mob: 1907267228

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No HIMGRN B18D122792

Amount ₹ 68780

Bank MANAGER, SBI SUNDERNAGAR

Account-DD-No. 49L-220035 dated 21/3/18

श्रीय स्टेट बैंक 8548
Bank of India
Chandigarh (H.P.)

-9 APR 2018

Bhavneet Kaur/ भवनीत कौर
5882017
Checker

68780/-
40

(HPTR-RTGS)
RTGS/NEFT ADVICE

Unpaid
28/3/18

Priority Code	M	D	1	1	2							DDO Code No.	6	0	4	SDO Code:	0	0
---------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------	---	---	---	-----------	---	---

Description : Executive Engineer, B & R Division, HPPWD Sarkaghat

Assigned Token No. :	4	0	3	0	0	0	Date :	2	8	0	3	2	0	1	8
----------------------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

Directly credited to the following accounts :

Total Amount = Rs	814960
--------------------------	---------------

Name of Contractor/Supplier S/Sh.	Payee Code	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Amount (Rs)
HIMACHAL PRADESH CAMPA	ML60410410	CORP0000633	Corporation Bank PCS Bangalore	150706120377471	814960
TOTAL					814960

Amount in words: **Rs Eight Lac Fourteen Thousand Nine Hundred Sixty only**

[Signature]
Executive Engineer
B & R Division H.P.W.D.
(DDO Signature)

(Pay Order by DTO/To for NEFT/RTGS)

Received By: _____

HPTR-RTGS

(To be filled in duplicate)

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-01-2018

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120377471
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla
Amount(In Rs)	814960/-

Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150706120377471
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-01-2018

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120377471
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla
Amount(In Rs)	814960/-

Amount in Words : Eight Lakh Fourteen Thousand Nine Hundred and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150706120377471
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back



UTR N-0
PUNBH 180 90938 029

Dt - 31-03-2018

Amnt - 814960

PROFORMA**(Details of Remittance of Amount)**

Full Title of the Project: Diversion of 0.6123 ha. of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalehri (Km. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.


File No. : _____

Date of Proposal: _____

PROFORMA**(Details of remittance of amount)**

1.	State /District/Forest Division to which the proposal relates	Himachal Pradesh/Mandi/Suket Forest Division, Sundernagar.
2.	Name of the User Agency,	Executive Engineer, B&R Division HPPWD Sarkaghat
3	Nature of the Proposal	C/O Link road to Harizen Basti Kalehri (km 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division
4.	Extent of forest are involved for diversion	0.6123 hectare
5.	Whether original, or extension of existing approval	Original
6.	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area. If so, specify	-
7.	Date of 1 st stage Clearance	10.10.2017
8.	Amount to be realized (in Rs.) for	
a)	Compensatory Afforestation	Rs.1,86,570/-
b)	Additional Compensatory Afforestation (PCA)	Rs.1,97,188/-
c)	Catchment Area Treatment	-
d)	Wildlife Management Plan	-
e)	Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas	-
f)	Net Present Value	Rs. 4,02,281/-
g)	Any other charges/Levies (Plants Damage)Reclamation plan	Rs. 28,921/-
8	Total amount to be Realized	Rs.8,14,960/-
(a to g)		

9	Amount Realized	Rs. 8,14,960/-
i	Details of Bank	RTGS done through Punjab National Bank Sarkaghat Distt Mandi HP
ii	Name of Bank	-
iii	Bank Draft No.	-
iv	Date	-
v	Amount	Rs. 8,14,960/-
vi	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	Yes, vide RTGS UTR No. PUNBH18090938029 dated 31.03.2018 amounting to Rs. 8,14,960/-
vii	Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union Bank of India, Sundernagar) in which deposited, with date of deposition	Corporation Bank , FCS Bangalore
10	Any other remarks	--


 Divisional Forest Officer
 Suket Forest Division,
 Sundernagar.



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat, P.W.D.
HP, P.W.D. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s


Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	State Govt. will upload revised digital map of area proposed for diversion at para 'C' Part-I online, which has been provided in hard copy with reply of State Govt. dated 29.09.2017.	Needful done.


Executive Engineer,
Division Sarkaghat W/O
HP. PWD. at Sarkaghat

Place:-Sarkaghat
Date:-

c/s

Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)

**HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

No.PW-SD-BLD-forest case/Harizen Basti Kalehri /2020- 1282-83 Dated:- 20.08.2020

To

The Divisional Forest Officer,
Suket, Forest Division,
Sunder Nagar.

Sub:

Diversion of 0.6123 ha. Of forest land for the construction of link road to Harizen Basti Kalehri (KM. 0/00 to 2/500 Kms) with the jurisdiction of Suket Forest Division H.P.


Reference: -

Your office letter No.3416 dated 16.07.2019.

Enclosed find herewith hard copy of digital map (4 Nos.) as desired vide your office mentioned under reference.

The other information as desired vide above referred letter No. already submitted to your office vide Executive Engineer office letter No. PW-SKT-CB-Forest Case/2017 - 1057-58 dated 03.05.2018.

Copy also enclosed for reference please. Submitted for favour of necessary action at your end please.



Assistant Engineer,
B&R -Sub Division HP.PWD,
Baldwara.

1. Copy to Executive Engineer B&R Division HPPWD Sarkaghat for Information.
2. Copy to office file.

Assistant Engineer,
B&R -Sub Division HP.PWD,
Baldwara.


20/8/2020
20/8/2020
20/8/2020

Digital Landuse Map of Link Road Harizan Basti Kalehri (KM 0/000 to 2/500)



Index

- Alignment (2.5 Kms)
- Drainage
- Pedestrian Way
- Other Roads
- Bridge
- Builtup Area
- Agriculture
- Forest
- River/Naah
- Open Land/Grass Land/Waste Land/Shrubs

Prepared by:



AGISAC

© Copyrighted to Agisac, under the aegis of State Council for Science, Technology & Environment, HJ

This map has been prepared from the reference (Latitude, Longitude, Height) and base map provided by the user agency and the AGISAC owes no responsibility of the correctness and accuracy of the same



Divisional Forest Officer

Sub-divisional Officer
Safawara Sub-Division
P.P.V.O. Safawara

Executive Engineer
Safawara Division
S.P.V.O. Safawara

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD.at Sarkaghat
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

4/5

Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। ति विनिमयन साईनेज लगाये जायेंगे।	एनपीवी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पीवी देने के लिए बाध्य होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat P.W.D
HP, PWD at Sarkaghat

Place: Sarkaghat

Date:-

c/s


Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Gunderbagar (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
3.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हे० वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF NAREHLI में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.23 हे० वन न भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat, W.D.
HP.PWD, at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Mandi, Jammu & Kashmir (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.


महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हे० DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.30 हे० DPF NAREHLI वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख-रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP PWD at Sarkaghat
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Sundemagar (H.P.) - 175018

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
5..	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस - पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,
Division Sarkaghat, W.D.
HP.PWD, at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस /कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD. at Sarkaghat
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division.
Suket Forest Division, H.P.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।


क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी।	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat
HP.PWD. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

4/5


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division
Suket Forest, Mandi (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject: -

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
8.	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस - पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।	परियोजना के निर्माण व रख - रखाव के दौरान आस - पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat W.D.
HP, PWD, at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

c/s

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Suket, Mandi (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी./1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी./1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिए गये layout plan में दर्शाए गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

Executive Engineer,
Division Sarkaghat W.D
HP:PWD:at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

1/5

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division.
Suket (Mandi) (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10..	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

*Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)*

*Executive Engineer,
Division Sarkaghat P.W.
HP/PWD at Sarkaghat*

Place:- Sarkaghat

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर . सी . सी स्तम्भ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर भी अंकित किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat K.D.
HP.PWD. at Sarkaghat
Sarkaghat

Place:- Sarkaghat,

Date:-


Divisional Forest Officer,
Suket Forest Division,
Sunder Nagar (HP)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.


संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति कारिये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्ग सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख -रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के आलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division Sarkaghat, W.D
HP.PWD. at Sarkaghat

Place:- Sarkaghat

Date:-

९/९


Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Suket, Mandi (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारीये पत्र सं० 8बी /एच .पी. /06/41 /2017/एफ. सी /1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रि कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
13.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है ।


Executive Engineer,
Division/Sarkaghat W.D
HP.PWD. at Sarkaghat

Place:-Sarkaghat

Date:-

4/3

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Sunder near HPI

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 0.6123 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to Harijan Basti Kalehri (Kms 0/00 to 2/500), within the jurisdiction of Suket Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017.

महोदय :-


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर -मध्य क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून -248001 द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारिये पत्र सं० 8बी/एच.पी./06/41/2017/एफ.सी/1204 दिनांक 10.10.2017. के माध्यम से निर्गम सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके चुलभ संदर्भ एवं आगे कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	विधिवत स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
14.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।


Executive Engineer,
Division/Sarkaghat, W.C.
HP.PWD. at Sarkaghat

Place:-Sarkaghat

Date:-

c/c

Divisional Forest Officer
Suket Forest Division,
Suket (Distt. Mandi)